चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक :– सम्बद्धता / 2033
दिनांक :– 03/8/2022

संशोधित

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान,
जनपद– मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बागपत, बुलन्दशहर एवं हापुड)
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

सन्दर्भः– उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांकः 2 / 2020 / 226 / सत्तर–2020–18(31) / 2018, दिनांक 13, मार्च 2020

विषयः– उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठयक्रमों में तथा अशासकीय अनानुदानित स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सेवा शर्तो के मानक आदि के सम्बन्ध में।

महोदय,

आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय / संस्थानों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न पाठयक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश दिनांक 13, मार्च 2020 के अनुपालन में शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धित विषय के पाठयक्रम के चलते रहने अथवा संतोषजनक सेवा रहने तक जारी रहेगी एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आहूत बैठक दिनांक 29.03.2022 के संकल्प संख्या 11 में पारित आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित संस्थान / महाविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत जो पाठयक्रम, जबतक संचालित रहेंगे तब तक उक्त पाठयक्रमों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाएँ उनके संतोषजनक सेवा प्रदान करने तक, यथावत रहेगी। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिये मूल्यांकन प्रक्रिया निरन्तरता से अपनाना आवश्यक है। अतः संस्थान / महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा असन्तोषजनक होने की स्थिति में सेवा सम्बन्धी संविदा का विखण्डन करने से पूर्व नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति का अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय,

03082022

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव प्रति कुलपति को मा0 प्रति कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
03. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
05. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Lalit (669)

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)